AADHAAR

ECONOMIC TIMES HINDI, Delhi, 2.7.2018

Page No. 5, Size:(28.38)cms X (11.80)cms.

मार्च तक जोड़ सकते हैं PAN को आधार से

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहली बार PAN लेने वालों के लिए आधार बेस्ड फ्री 'इंस्टेंट' अलॉटमेंट सर्विस शुरू की

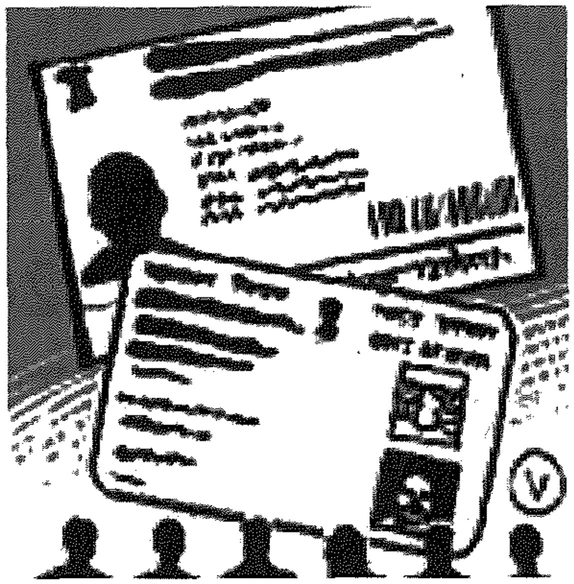

> सरकार ने अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के साथ ही नया PAN लेने के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया है

| पीटीआई | नई दिल्ली |

पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। यह पांचवीं बार है कि जब सरकार ने परमानेंट एकाउंट नंबर (PAN) को बायोमेट्रिक ID (आधार) से जोड़ने की डेडलाइन बढ़ाई है। वहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहली बार PAN लेने वाले व्यक्तियों के लिए आधार पर आधारित फ्री 'इंस्टेंट' अलॉटमेंट सर्विस शुरू की है।

टैक्स डिपार्टमेंट की पॉलिसी बनाने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 119 के तहत ऑर्डर जारी कर डेडलाइन बढ़ाई है। इससे पहले CBDT ने 27 मार्च को डेडलाइन बढ़ाई थी। नए ऑर्डर में कहा गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए PAN को आधार से जोड़ने की डेडलाइन 'मामले पर विचार' करने के बाद बढ़ाई गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष की शुरुआत में आधार को कुछ सर्विसेज के साथ जोड़ने की 31 मार्च, 2018 की डेडलाइन बढ़ाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि डेडलाइन तब तक बढ़ाई जाए जब तक पांच जजों की संविधान पीठ आधार स्कीम की वैधता और इससे जुड़े कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला नहीं देती।

आधार को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं।

इन याचिकाओं में आधार से लोगों की प्राइवेसी को खतरा होने की आशंका जाहिर की गई है। सरकार ने अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के साथ ही नया PAN लेने के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया है। मार्च तक के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 33 करोड़ PAN में से करीब 16.65 करोड़ को आधार से लिंक किया गया है।

आधार के जरिए कुछ सेकेंड में मिलेगा PAN

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहली बार PAN लेने वाले व्यक्तियों के लिए आधार पर आधारित 'इंस्टेंट' अलॉटमेंट सर्विस शुरू की है। डिपार्टमेंट ने बताया, 'यह सुविधा मुफ्त है और ई-PAN का तुरंत अलॉटमेंट आधार रखने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।' एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फाइनेंशियल और टैक्स से संबंधित जरूरतों के लिए PAN का आवेदन करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ने के कारण नई सुविधा पेश की गई है। व्यक्ति के आधार नंबर से जुड़े 'एक्टिव मोबाइल नंबर' पर वन टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिए नया PAN आवंटित किया जाएगा। इस पैन पर व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर और पता उसके आधार के समान होगा। ई-PAN सुविधा केवल व्यक्तियों के लिए है। यह हिंदू अविभाजित परिवार, फर्मों, ट्रस्ट और कंपनियों को उपलब्ध नहीं होगी।

आधार-बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम के जरिए कुछ सेकेंड में व्यक्ति को PAN का आवंटन होने के बाद उसे कुछ समय बाद डाक के जरिए PAN कार्ड भेजा जाएगा। आधार के जरिए तुरंत पैन लेने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in का इस्तेमाल किया जा सकता है।

यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) आधार जारी करती है, जबकि 10 डिजिट का PAN इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलॉट करता है। आधार देश के एक निवासी को आवंटित किया जाता है, जबकि PAN एक व्यक्ति, फर्म या एंटिटी को जारी किया जाता है।